न्यायालयं अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/59/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/125

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री बसन्तीलाल सैनी,
नि. प्लॉट नं.12, शिव बैटरी वाली गली, तिजारा फाटक पार,
अलवर–301001

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रवेश तिथि :: 25.03.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02.05.2022

1. उभय पक्ष उपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 03.02.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी को उक्त अधिनियम के तहत प्रा0पत्र प्रस्तुत कर उनके न्यायालय संबंधी पत्रावली ब.उ. भगवानसहाय बनाम राज. सरकार अन्तर्गत नकलें प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत **नकल प्रा0पत्र दिनांकः 10.01.2022 के संबंध में** 02 बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन दिनांकः 03.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 22.03.2022 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए व पत्र सं. सू.अ.अधि./अपील/2022/1247 दिनांकः 29.04.2022 के माध्यम जवाब नोटिस पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपील के तथ्यों व प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत उनवानी प्रकरण में विविध दस्तावेजात् प्राप्ति हेतु प्रतिलिपि/नकल प्रा0पत्र दिनांकः 10.01.2022 प्रत्यर्थी के न्यायालय में पेश किया गया है जिसके संबंध में आवेदन दिनांक तक की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गई है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त अपील में इस न्यायालय में जवाब पेश किया है जो उचित नहीं है व अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है। उक्त के अतिरिक्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित भी नहीं की गई है।
8. अतः अपील, अपीलार्थी **स्वीकार** की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना रिकॉर्ड अविलम्ब तलाश कराया जाकर सूचना बिन्दुवार, नियमानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से प्रेषित की जावे।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 02.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(हस्ताक्षर) वन्दना खोरवाल

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार ★ प्रशासन (द्वितीय) अलवर ★

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)